

मैरठ विकास प्राधिकरण

की

30वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 24-12-86

का

कार्यालय

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 24-12-86

समय : प्रातः 11-30 बजे

स्थान : विकास भवन, "समिति कक्ष"

उपस्थिति :

1- श्री रमेश चन्द्र	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3- श्री आर०एस०कौशिक	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4- श्री जे०एन०सक्सैना	संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग	सदस्य
5- श्री बी०एल०मनचन्दा	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6- श्री पी०के०गोयल	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन सदस्य विभाग	सदस्य
7- श्री जे०ए०जोशी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, सदस्य जलनिगम, मेरठ	सदस्य
8- श्री एस०एन०बुखारी	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, आवास एवं सदस्य विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य

श्री आर०एस०कौशिक, जिलाधिकारी, मेरठ (सदस्य) द्वारा अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बैठक में भाग लिया जाना सम्भव न हो सका।

कार्यवृत्त का विवरण :-

मद संख्या-1

28-7-86 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी एवं उक्तानुसार कार्यवृत्त पुस्तिका में उनके द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित नोट अंकित किया गया।

मद संख्या-2

दिनांक 28-7-86 की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन ।

काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्ट्स से पंजीकृत वास्तुविदों को
पुनः प्राधिकरण में पंजीकृत करने का मामला ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

मानचित्रों की स्वीकृति पर विचार ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि का आबंटन ।

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी ने इस संस्था को
भूमि आबंटित किये जाने की संस्तुति नहीं की है । अतः अध्यक्ष ने यह व्यक्त
किया कि इनका आवेदन निरस्त कर दिया जाना उचित होगा । प्राधिकरण द्वारा
तदनुसार निर्णय लिया गया ।

प्राधिकरण की हापुड रोड योजना क्षेत्र का ३० प्र० आवास एवं
विकास परिषद की योजना संख्या -10 में हस्तान्तरण तथा उसके
स्थान पर हापुड रोड पर बस स्टेन्ड हेतु 19 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण
के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा अवलोकित किया गया ।

गढ रोड एवं परीक्षित गढ रोड को मिलाने वाले 120 फुट
चौडे मार्ग के निर्माण की योजना ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तावित मार्ग के
निर्माण हेतु सर्व-सम्मत निर्णय लिया गया ।

इन्स्टीट्यूट आफ प्रोडक्टिविटी एण्ड मैनेजमेंट संस्थान का भूमि आबंटन हेतु आवेदन ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

मेरठ महायोजना में जोन-7 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों की समाप्ति ।

निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन को संस्तुति कर दी जाये तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में इस प्रकरण को प्रस्तुत किया जाये । अध्यक्ष महोदय ने ये भी निर्देश दिये कि ऐसे उल्लंघन के मामलों पर दृष्टि रखी जाये । प्राधिकरण द्वारा तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया ।

मेरठ महानगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र की आच्छादन सीमा ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

मेरठ महायोजना के जोन-53 की विकास योजनाओं में भूउपयोग परिवर्तन तथा संशोधित क्षेत्र की अध्याप्ति ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

ग्राम बराल परतापुर के भूउपयोग का परिवर्तन ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

ग्राम बराल परतापुर के भूउपयोग का परिवर्तन ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

मेरठ - दिल्ली बाईपास मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर सुन्दरापुर उर्फ़ पूठा, मलियाना व डुंगरावली में प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

आर्मी आफीसर्स प्राईवेट कालोनी लि० की भूमि का परित्याग ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

ग्राम रिझानी में प्रस्तावित लेबर क्वार्ट्स कालोनी का नामकरण ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया । अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि “कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं” के बजाय “कार्यवाही कर ली गयी” अंकित किया जाये ।

ग्राम रिठानी में प्रस्तावित लेबर क्वार्ट्स कालोनी का नामकरण ।

उपरोक्तानुसार ।

मेरठ - रोहटा मार्ग पर प्रस्तावित लेबर क्वार्ट्स कालोनी का नामकरण ।

उपरोक्तानुसार ।

पल्लवपुरम आवासीय योजना (द्वितीय चरण) के लिये हुडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प ।

उपरोक्तानुसार ।

हर्षनगर आवासीय योजना के लिये हुडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प ।

उपरोक्तानुसार ।

विश्वकर्मा आवासीय योजना के लिये हुडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प ।

उपरोक्तानुसार ।

पुरुषार्थ नगर आवासीय योजना के लिये हुडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प ।

उपरोक्तानुसार ।

शक्ति नगर आवासीय योजना के लिये हुडको से ऋण प्राप्ति का संकल्प ।

उपरोक्तानुसार ।

अन्य बिषय

1- राष्ट्रीय हिन्दी परिषद को भूखण्ड का आबंटन ।
अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

2- ग्राम हाफिजाबाद मेवला का भूउपयोग ।
अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

3- हापुड रोड पर बस स्टेन्ड की व्यवस्था ।
अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

4- आवास एवं विकास परिषद की योजना संख्या-1 का भूउपयोग परिवर्तन।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

5- नवीन विकसित आवासीय क्षेत्रों में पार्श्व सैट बैंक के 40 प्रतिशत क्षेत्र में निर्माण की अनुमति।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

6- प्राधिकरण की आर्थिक एवं भौतिक उपलब्धियों की प्रगति पर टिप्पणी।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद संख्या - 3

भूउपयोग परिवर्तन।

1- वास्तुविद नियोजक द्वारा मानचित्र पर स्थिति को स्पष्ट किया गया। बताया गया कि संस्था द्वारा मेरठ - दिल्ली मार्ग पर ग्राम मोहितदीनपुर के खसरा संख्या- 190, 192 व 198 का भूउपयोग कृषि हरित पट्टी (पी-4) से औद्योगिक (एम-3) में परिवर्तित करने की माँग की गयी है जिसमें स्कूटर टायर ट्यूब बनाने का उद्योग स्थापित किया जायेगा। उक्त क्षेत्र का भूउपयोग शासन द्वारा महायोजना अनुमोदन के समय निर्धारित नहीं किया गया था किन्तु प्राधिकरण की बैठक में उक्त क्षेत्र का भूउपयोग कृषि हरित पट्टी निर्धारित किया गया था जो कि शासन स्तर पर लम्बित है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन को संस्तुति की जाये। अध्यक्ष द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि भविष्य में भी इसी प्रकार के मामलों से समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं अतः मास्टर प्लान को संशोधित किया जाये। उनका मत था कि प्रशनगत क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र निर्दिष्ट किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

उक्तानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(2) वास्तुविद नियोजक ने बैठक में बताया कि प्रशनगत स्थल का कुल क्षेत्रफल 70 एकड़ है जिसमें से 30 एकड़ क्षेत्रफल का भूउपयोग परिवर्तित किये जाने की संस्तुति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ द्वारा कर दी गयी है। सहयुक्त नियोजक ने चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि वन विभाग की भूमि भी समीप में स्थित होने के कारण कठिनाई है।

निर्णय लिया गया कि 30 एकड़ भूमि जिसका भूउपयोग टी-3 है, को एम-2 में परिवर्तित करने की संस्तुति कर दी जाये तथा शेष भूमि के परिवर्तन हेतु सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के वास्तुविद नियोजक संयुक्त सर्वेक्षण कर जोनल प्लान तैयार करने की कार्यवाही करें तथा यथासम्भव जोनल प्लान में आवेदक के अनुरोध को पूरा करने का प्रयास किया जाये।

(3) वास्तुविद नियोजक ने बैठक को अवगत कराया कि प्राधिकरण की विराट नगर आवासीय योजना जो ग्रीन बैल्ट में थी, का भूउपयोग परिवर्तन हो गया है। समिति का एरिया 7 या 8 एकड़ है जिसके कुछ भाग पर निर्माण हो चुका है। कुल प्लाट 100 के लगभग हैं। समीप में आवासीय क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समिति के भूमि के भूउपयोग परिवर्तन हेतु भी शासन को संस्तुति कर दी जाये।

(4) वास्तुविद नियोजक ने मानचित्र पर स्थिति को स्पष्ट किया एवं अवगत कराया कि प्रशनगत भूमि शैक्षिक(एफ-1) के अन्तर्गत है एवं 5-6 बर्षों से समिति के कब्जे में है। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि मेडीकल कालेज से इस सम्बन्ध में परामर्श कर लिया जाये एवं ज्ञात किया जाये कि क्या उन्हें लेबोरेटरी की स्थापना हेतु तो अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता न होगी? बिलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कालेज को एक तिथि निश्चित करते हुए स्थिति स्पष्ट करने के लिये पत्र लिखा जाये एवं स्पष्ट रूप से लिख दिया जाये कि निर्धारित तिथि तक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मान लिया जायेगा कि मेडीकल कालेज को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं हैं उसके उपरान्त शासन को भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी संस्तुति भेज दी

जायेगी। निर्णय हुआ कि उक्तानुसार कार्यवाही कर यह प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 4

विकास शुल्क का निर्धारण

(1) चूँकि इन दरों को अंगीकार करने में कोई कठिनाई नहीं पाई गई, अतः इन्हें अंगीकार किया गया।

(2) वास्तुविद नियोजक ने बैठक में बताया कि प्रस्तावित दरें अन्य प्राधिकरणों में लागू दरों से कम हैं उन्होंने बताया कि कालोनाईजर्स इन दरों पर सहमत हैं अतः प्रस्तावित दरों की प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(3) सर्वश्री जे० पी० जैन एवं शशि भूषण, अधिशासी अभियन्ताओं ने प्रस्ताव की स्थिति को विस्तार से बताया।

अनियमित कालोनियों में भी इस दर से विकास कार्य कराया जा सकेगा। चर्चा में यह प्रश्न उठाया गया कि जिन लोगों से पूर्व निर्धारित 15/- रुपये की दर से माँग-पत्र भेजे जा चुके हैं क्या उन्हें भी नव निर्धारित दरों पर संशोधित माँग पत्र भेजे जायें।

उक्त दरों को अनुमोदित किया गया एवं साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित दरों पर भुगतान हेतु एक मास का समय प्रदान करते हुए तिथि निश्चित कर दी जाये।

मद संख्या- 5

कोठी नं०-227 को अर्जन से मुक्त किया जाना।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन के आदेशों का पालन किया जाये। इस बिन्दु पर सामान्य चर्चा के मध्य यह कहा गया कि भूमि अध्यापि की कार्यवाही लम्बित रहते हुए कालोनाईजर कालोनियाँ विकसित कर देते हैं जिससे रुकावट उत्पन्न होती है एवं इस प्रकार उनके तलपट मानचित्र स्वीकृत करने पड़ जाते हैं।

मद संख्या - 6
बुनकर नगर योजना का नामकरण ।
नामकरण प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

मद संख्या - 7
ऋण प्राप्ति हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाना ।
प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया परन्तु यह निर्देश दिये गये कि इस प्रकार लिये गये संकल्पों की सूची आगामी बैठक में पटल पर रखी जाया करें ।

मद संख्या - 8
अन्य बिषय

(1) सूरजकुण्ड के निकट प्रस्तावित विकास नगर योजना की भूमि के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण पर विचार किया गया एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त कियाकि कालोनाईजर द्वारा प्रस्तुत किये गये ले-आउट को पूर्ण योजना के ले-आउट में समायेजित किया जाये तथा पूरी योजना कार्यान्वित किये जाने हेतु शर्तें निर्धारित की जायें । वास्तुविद नियोजक द्वारा ले-आउट प्लान से बाहरकी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में निर्देश माँगे गये तथा उसी क्षेत्र में एक अन्य ले-आउट प्लान की स्थिति से भी अवगत कराया गया । निर्देश दिये गये कि जब तक शासन से प्रशनगत ले-आउट के सम्बन्ध में भूअर्जन से मुक्त करने के निर्देश नहीं आ जाते, शेष भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जाये ।

(2) सूरजकुण्ड - गढ मार्ग पर खेल का सामान बनाने वाले उद्यमियों के लिये वर्क सैन्टर बनाया जाना ।

वास्तुविद नियोजक ने अवगत कराया कि वर्क सैन्टर में 30 यूनिट होंगे, सैन्टर ऊपर आवासीय होगा । भूउपयोग लाईट इन्डस्ट्रियल है । वाणिज्यिक-

कम-आवासीय भूउपयोग परिवर्तन अपेक्षित होगा । विचारोपरान्त प्रस्ताव का
अनुमोदन किया गया ।

ह०/-

(रमेश चन्द)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण/

आयुक्त

मेरठ मण्डल,

मेरठ ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा दिनांक
18-1-1987 को अनुमोदित कार्यवृत्त में अंकित निर्णयों का अक्षरशः विवरण
है ।

ह०/-

(दुर्गेश जोशी)

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।

दिनांक 30-4-87